<u>दिनांक–07.12.2023</u>–

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वाद पुकारा गया। निगरानीकर्ता मोहनानंद की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एच0एस0 शर्मा एवं विरूद्ध पक्ष उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश भंडारी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कुलदीप सिंह बर्त्वाल न्यायालय में उपस्थित हैं।

निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रपत्र संख्या 21ख प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आज बहस की तैयारी नहीं हो पायी है। जिस कारण मामले में बहस होना संभव नहीं है। मामले में बहस हेतु एक तिथि प्रदान किये जाने की याचना की गयी है। विरूद्ध पक्ष उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री प्रकाश भंडारी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री कुलदीप सिंह बर्त्वाल द्वारा अनापत्ति की गयी। सुना। न्यायहित में स्वीकार। शामिल मिश्ल हो।

पत्रावली बहस हेतु दिनांक 22.12.2023 को प्रस्तुत हो।

(धर्म सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(शिविर न्यायालय कर्णप्रयाग)
जिला चमोली।